न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 45/2020 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

1. मथरा लाल पुत्र श्री दल्ला दरोगा(रावणा राजपूत)निवासी पीपली तह हमीरगढ।
2. धन्ना लाल पुत्र श्री दल्ला दरोगा(रावणा राजपूत)निवासी पीपली तह हमीरगढ।
3. शम्भू लाल पुत्र श्री दल्ला दरोगा(रावणा राजपूत)निवासी पीपली तह हमीरगढ।
4. छगन पुत्र श्री लादू दल्ला दरोगा(रावणा राजपूत)निवासी पीपली तह हमीरगढ।
5. श्रीमती धापू पत्नी स्व0 श्री उदा दरोगा(रावणा राजपूत)निवासी पीपली तह हमीरगढ।
6. नारायण पुत्र श्री लादू दरोगा(रावणा राजपूत)निवासी पीपली तह हमीरगढ।
7. भैरू पुत्र श्री मोडा दरोगा(रावणा राजपूत)निवासी पीपली तह हमीरगढ।
8. रामपाल पुत्र श्री उदा दरोगा(रावणा राजपूत)निवासी पीपली तह हमीरगढ।
9. शांति पुत्री श्री उदा दरोगा(रावणा राजपूत)निवासी पीपली तह हमीरगढ।

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती मोहनी पत्नी श्री गोरधन रेगर निवासी पीपली तह हमीरगढ।
2. आशा पुत्री श्री शंकर लाल खाती निवासी पीपली तह हमीरगढ।
3. श्रीमती कानी पत्नी श्री शंकर लाल खाती निवासी पीपली तह हमीरगढ।
4. नन्द लाल पुत्र श्री बालू लाल खाती निवासी पीपली तह हमीरगढ।
5. बद्री लाल पुत्र श्री बालु लाल खाती निवासी पीपली तह हमीरगढ।
6. भगवती लाल पुत्र श्री शंकर लाल खाती निवासी पीपली तह हमीरगढ।
7. आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड शाखा हलेड जिला भीलवडा जरिये शाखा प्रबंधक।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 251 (ए)

उपस्थित :::– प्रार्थीगण मय अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह उप0

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 अनुपस्थित

पेरोकार सरकार विपक्षी क्रम 9 उप0

–:: निर्णय ::–

दिनांक 17.02.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित नियम 251(क) दिनांक 26.06.2020 को पेश कर अनुरोध किया की प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि स्थित ग्राम पीपली पटवार हल्का पीपली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मंगरोप तह हमीरगढ जिला भीलवाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजी संख्या 1260/1 रकबा 0.2150है0 आराजी नम्बर 1260/2 रकबा 0.2150है0 आराजी नम्बर 1260/3 रकबा 0.2023है0 आराजी

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

नम्बर 1260/4 रकबा 0.2023है0 आराजी नम्बर 1253/01 रकबा 0.4046है0 आराजी नम्बर 1253/2 रकबा 0.0253है0 आराजी नम्बर 1253/5 रकबा 0.0506है0 आराजी नम्बर 1253/3 रकबा 0.4046है0 आराजी नम्बर 1253/4 रकबा 0.4046है0 भूमि स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है।

प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित आराजियात में आने–जाने का एक मात्र रास्ता जो की मंगरोप बशी मुख्य सडक से होकर सरकारी आराजी नम्बर 1238/3 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 1246 एवं विपक्षी 02 लगायत 06 की आराजी नम्बर 1247 की पूर्वी मेड होकर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित आराजियात में आते–जाते है जो 15 फिट चोडा बना होकर गाडी गढार बनी हुई है वर्षो पुराना रास्ता है जिसे प्रार्थीगण अपनी बेलगाडी संज आदि लाते ले जाते है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित आराजियात में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ते मौजुद नही है।

प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आने–जाने का एक मात्र रास्ता अत्यतिक आवश्यक रास्ता ही है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। लेकिन विपक्षीगण द्वारा आराजी नम्बर 1238/3 से आराजी नम्बर 1246 में प्रवेश करता है। उस जगह व आराजी नम्बर 1247 की मेड पर तारबन्दी कर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया है प्रार्थीगण को विपक्षीगण को रास्ता दर्ज कराने हेतु व रास्ता खोलने हेतु कहने पर साफ तोर पर इन्कार हो गये।

यह कि अभी बरसात का समय आने वाला है व प्रार्थीगण की आराजीयात आने जाने का कोई रास्ता नही है व विपक्षीगण जबरन मोके पर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। व रास्ते का खुलासा नहीं किया गया तो प्रार्थीगण अपने खेतो में फसल काश्त नही कर पायेगे व प्रार्थीगण व उनका परिवार जो कि खेती पर निर्भर जिनके भुखे मरने की नोबत आ जाएंगी। उक्त राजस्व रेकार्ड(नक्शे) में दर्ज नही है। उक्त रास्ता बाबत मौके से रिपोर्ट तलब फरमाय जाकर के नियमानुसार राजस्व रेकार्ड(नक्शे) में दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है। उपरोक्त खातेदरों से प्रार्थीगण से आपसी सहमति के आंधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास मे सफल नही हो पाये है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

अतःराजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद पीपली पटवार हल्का पीपली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा की आराजी न0 1260/1,126[illegible]53/1,1253/2,1253/3,1254/4 एवं 1254/5 पर आने जाने हेतु एकम[illegible] जो कि मंगरोप–बस्सी मुख्य सडक से होकर सरकारी आराजी न[illegible] संख्या 01 की आराजी नम्बर 1246 एवं विपक्षी संख्या 02 लगायत 06 की आराजी नम्बर 1247 की पूर्वी मेड से होकर प्रार्थीगण अपनी प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजिया तमे आते जाते है, जो 15 फीट चौडा रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

रये रास्ते को राजस्व रेकार्ड(नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 03.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01, लगायत 08 विधिवत सूचित होने के उपरान्त भी नियत सुनवाई दिनांक 07.09.2021 पर अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हेतु गैर हाजिर रहने से विरूद्ध विपक्षी संख्या 01, लगायत 08 एक तरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

न्यायालय द्वारा नियत सुनवाई दिनांक 12.01.2021 पर तहसीलदार हमीरगढ को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार हमीरगढ द्वारा दिनांक 08.02.2021 मार्फत भू अभिलेख निरीक्षक से तरतीब दिया पर्चा मौका, रिपोर्ट प्राप्त होकर रेकार्ड पर लिया गया।

हमने प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन/अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की मौजा पीपली स्थित आराजी संख्या 1246 रकबा 0.5690 है0 में से 0.0315है0 एवं आराजी नम्बर 1247 रकबा 1.0748 है0 मे से 0.0378 है0 हैक्टयर भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थीगण को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन सन्दर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन सम्बन्धी नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थी को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है।

मेने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तंथा तहसीलदार हमीरगढ की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जिसमें कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। जिसे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम पीपली पटवार हल्का पीपली भू–अभिलेख निरीक्षक मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 1260/1,1260/2,1260/3 ,1260/4,1253/1 ,1253/2,1253/3,1253/4 एवं 1253/5 में आने–जाने हेतु आराजी नम्बर 1246 रकबा 0.5690 है0 में से 0.0315है0 एवं आराजी नम्बर 1247 रकबा 1.0748 है0 मे से 0.0378 है0 हैक्टयर भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद तहसीलदार हमीरगढ द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 1246,1247

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसीलदार हमीरगढ के यहां प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति. हैक्टयर अनुसार रकबा 1246 रकबा 0.5690 है0 में से 0.0315है0 एवं आराजी नम्बर 1247 रकबा 1.0748 है0 मे से 0.0378 है0 हैक्टयर मालियत राशि की दोगुनी राशि (0.0693हैक्टयर की) अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 17.02.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested